43

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 28/2016 दायर दिनांक–10.02.2016

1. मु0 तारामणी स्त्री छोटा पुत्रवधु मुखा
2. दानाराम पुत्र श्रीया उर्फ पोकर पौत्र मुखा
3. मुन्ना पुत्र ओमप्रकाश पौत्र श्रीया उर्फ पोकर
4. महेन्द्र पुत्र सीताराम पौत्र मुखा
5. संजय पुत्र सत्यनारायण पौत्र श्रीया उर्फ पोकर
6. अमित पुत्र बेजू पौत्र मुखा
7. घासी पुत्र दुर्गा पौत्र मुखा
8. परमेश्वर पुत्र दुर्गा पौत्र मुखा
9. विक्रम पुत्र महाबीर पौत्र दुर्गा जाति भार्गव निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–वादीगण

बनाम

1. रामनिवास पुत्र हेमा
2. करणाराम पुत्र हेमा जाति जाट निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़।
3. मु0 बिमला स्त्री सीताराम
4. मुकेश पुत्र सीताराम
5. पप्पू पुत्र ओमप्रकाश पौत्र श्रीया उर्फ पोकर
6. मु0 किरण स्त्री सत्यनारायण पुत्रवधु मुखा
7. सुरेश पुत्र सत्यनारायण पौत्र मुखा
8. मालाराम पुत्र श्रीया पुत्र पोकर
9. ताराचन्द पुत्र श्रीया उर्फ पोकर
10. मु0 कान्ता स्त्री बाबूलाल पुत्रवधु दुर्गा
11. प्रमोद पुत्र बाबूलाल पौत्र दुर्गा
12. मु0 रोशनी देवी स्त्री महाबीर पुत्रवधु मुखा
13. रमन पुत्र महाबीर पौत्र मुखा
14. सुमित पुत्र बेजूराम पौत्र दुर्गा
15. विकास पुत्र बेजूराम पौत्र दुर्गा
16. मु0 सावरी देवी स्त्री हजारी पुत्रवधु मुखा
17. धुड़ाराम पुत्र हजारी पौत्र मुखाराम
18. भानीराम पुत्र हजारी पौत्र मुखाराम
19. कैलाश पुत्र हजारी पौत्र मुखाराम
20. मुकेश पुत्र हजारी पौत्र मुखाराम जाति भार्गव निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़।
21. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नवलगढ।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रति. :– श्री सज्जन कुमार चाहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:10:32 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत [illegible]
स्थायी निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–26.06.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :–ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर भूप्रबंध से पूर्व 1342 तादादी 1 बीघा 11 विश्वा जिसके तस्दीक वर्ष 1985 के

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

खसरा नम्बर 1447 रकबा 0.39 है0 सम्वत् 2046 से 2049 के तस्दीक वर्ष के नया खसरा नम्बर 1260 रकबा 0.39 हाल खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.39 है0 है जो भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 के पूर्वजों की खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि है जिनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 है। उक्त भूमि पैत्रिक है जो पीढियों से कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि से अन्य किसी का कोई संबंध नही है उक्त भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण का वंशावली वाद पत्र की धारा 2 में अंकित है। उस वंशावली के अनुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 3 लगायत 20 के स्वामित्व, खातेदारी काश्तकारी की है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण आबाद है तथा कब्जा काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 की उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 के पूर्वज श्रीया उर्फ पोकर, दुर्गा, छोटा, हजारी व सीताराम पुत्र मुखा जाति डाकोत के नाम से जमाबंदी सम्वत 2015 से 2034 तक खातेदारी में चली आ रही थी, भूप्रबंध कार्य के दौरान बिना किसी अधिकार के वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 की खातेदारी की भूमि मनमाने तरीके से असंवैधानिक तरीके से प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम से विधि विरूद्व बिना किसी न्यायालय के आदेश के बिना भूप्रबंध विभाग को इन्द्राज अन्य किसी की खातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकार नही था, मात्र भूप्रबंध विभाग को पूर्व के इन्द्राज को दोहराना भर था न कि पूर्व के इन्द्राज व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार था। भूप्रबंध विभाग द्वारा विधि विरूद्व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज व इसके बाद में बना राजस्व रिकॉर्ड वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 के विपरीत होने से शून्य है उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 1 व 2 को कोई अधिकार व स्वामित्व प्राप्त नही होता न ही उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड का नाजायज फायदा उठा सकता है, गलत राजस्व रिकॉर्ड का नाजायज फायदा उठा सकता है। गलत राजस्व रिकॉर्ड वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लागायत 20 के वैध अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नही पड़ता परन्तु गलत राजस्व रिकॉर्ड के रहने से सख्त हकतलफी पैदा रहती है इसलिये अपने हक हकूक व अधिकारों के लिये वाद घोषणार्थ का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि:– वादीगण बहक खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खिलाफ इस उमर की डिक्री फरमाई जावे कि वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.39 है0 लगानी 1.93 रूपये का वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी नं0 22 को इस आशय का निर्देश दिया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 की खातेदारी में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि के किसी भी भूभाग को जरिये इकरारनामा गिरवीनामा, विक्रय पत्र अथवा अन्य किसी तरीके से भूमि को खुर्द बुर्द न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करवायें। लाट–बाट उपयोग–उपभोग में न तो स्वयं बाधा डाले न ही अन्य किसी से डलवाये।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री सज्जन चाहर उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण संख्या 03 लगा0 22 की तामिल सम्यक रूप होने पर इनके ओर से कोई उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही व राजीनामा पेश होने पर प्रकरण में विवाद्यक बनाये जाने की आवश्यकता नही रह जाती है।

साक्ष्य वादी में महेन्द्र पुत्र सीताराम उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया तथा अपने वाद–पत्र के संबंध में प्रदर्श 1 नकल मिलान क्षैत्रफल 1985, प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल 2046–2049, प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षैत्रफल 2054–2057, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत 2012–2015, प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी 2019–2022, प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी 2023–2026, प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी संवत 2027–2030, प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी संवत 2031–2034, प्रदर्श 9 नकल जमाबंदी संवत 2043 से लगातार आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:10:32 IST
Reason: SelfAttested

शहादत वादी पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी सुनी गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.39 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 1 व 2 का

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

नाम हजफ फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.39 हे0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम हजफ किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:10:32 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम
बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 28/2016 (तारामणी बनाम रामनिवास आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **26.06.2023** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.39 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम हजफ किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **26.06.2023** को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	06.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	16.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:10:32 IST
Reason: SelfAttested